न्यायालय असि0कलेक्टर सिकन्दरा कानपुर देहात।

वाद सं0 9 सन 2012

जवाहर सिंह आदि बनाम सन्त कुमार सिंह आदि

धारा 143 जेड0ए0एक्ट

ग्राम जैतापुर।

नकल **निर्णय** दि0 27-8-12

प्रस्तुत वाद तहसीलदार सिकन्दरा की आख्या दिनांक 18.08.2012 के आधार पर प्राप्त हुई आख्या में कहा गया है आराजी नं0 127/0.615 व 123/0.087, 124/0.087, 128/3/0.249 कुल 3 किता रकवा 0.423 हे0 स्थित मौजा जैतापुर की भूमि भू–राजस्व 10.50 से मुक्त होकर अकृषक घोषित करने की संस्तुति की है क्योंकि भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा उसमें कृषि कार्य या कृषि कार्यो से सम्बद्ध कार्य नहीं हो रहे है है बल्कि महाविद्यालय की विल्डिंग व सहन आदि बना हुआ है तथा वादीगण तनहा काश्तकार है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अवलोकन किया तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार सिकन्दरा की आख्या को देखा। जिससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित कर भू0रा0 से मुक्त करने में विधिक त्रुटि नहीं होती है। तहसीलदार सिकन्दरा की आख्या दिनांक 18.08.2012 आदेश का एक अंग रहेगा।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि दर्ज खातेदार जवाहर सिंह पुत्र जयराम सिंह व श्रीमती सरस्वती पत्नी जवाहर सिंह प्रबन्धक/संस्थापक जयश्री बालाजी महाविद्यालय जैतापुर निवासी जैतापुर परगना व तहसील सिकन्दरा की खाता सं0 60 गाटा सं0 127/0.615 व खाता सं0 185 गाटा सं0 123/0.087, 124/0.087, 128/3/0.249 कुल 3 किता रकवा 0.423हे0 को अकृषक घोषित किया जाता है भू0रा0 से मुक्त हो। आदेश की प्रति उपनिबन्धक सिकन्दरा को निबन्ध हेतु भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

SEEN

S.S. Sisodia, Advocate

27/8/12

असि0कले0 सिकन्दरा

कानपुर देहात।

क्रमांक 139

नकल मांगने का दिनांक 27-8-12

नकल मांगने वाले का नाम श्री आराधना यादव एडवोकेट

नकल बनाने का दिनांक 28-8-12 बनाने वाले के हस्ताक्षर

नकल जारी करने का दिनांक 28-8-12 मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

28/8/12

अहलमद (माल)

उप जिलाधिकारी सिकन्दरा